



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 12, 1988/वैशाख 22, 1910

No. 248]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 1988/VAISAKHA 22, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 1988

का. बा. 479(अ)—प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
प्रधिनियम, 1987 (1987 का 52) के खंड 3 के उपखंड (1)
और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों (जिसे प्राज के बाद उक्त प्रधिनियम कहा
गया है) का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा 12 मई, 1988
से प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नाम से एक परिषद का
गठन करती है जिसके विम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(1) केन्द्रीय सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री, अध्यक्ष
[खंड 3 के उपखंड (5) की धारा (क) के
अनुसार]

(2) केन्द्रीय सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री [खंड 3 के उपखंड (5) की धारा (ख) के
अनुसार]

(3) शिक्षा से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय सदस्य पदेन
में भारत सरकार के सचिव

[खंड (3) के उपखंड (4) की धारा (ग)
के अनुसार]

(4) भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय (सामान्य) सदस्य पदेन
[खंड (3) के उपखंड (4) की धारा (घ) के अनुसार]

(5) *चार क्षेत्रीय समितियां
(6) के अध्यक्ष [खंड
(7) (3) के उपखंड (4) की
(8) धारा (ड) के अनुसार]

सदस्य
पदेन

(9) *प्रधान

सदस्य पदेन

प्रखिल भारतीय व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड
[खंड (3) के उपखंड (4) की धारा (ब)
के अनुसार]

- (10) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीशियन शिक्षा बोर्ड [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (ब) के अनुसार] सदस्य पदेन
- (11) अध्यक्ष, अखिल भारतीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी अवर स्नातक अध्ययन बोर्ड [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (ब) के अनुसार] सदस्य पदेन
- (12) अध्यक्ष, अखिल भारतीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान बोर्ड [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (ब) के अनुसार] सदस्य पदेन
- (13) अध्यक्ष, अखिल भारतीय प्रबंध अध्ययन बोर्ड [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (ब)] सदस्य पदेन
- (14) **वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (छ) के अनुसार] सदस्य
- (15) डा. एम. बी. गोबरीकर, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरोली रोड, नई दिल्ली [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (ज) के अनुसार] सदस्य
- (16) श्री ए. बी. नरोत्तम, प्रवर सचिव, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (घ) के अनुसार] सदस्य
- (17) श्री ए. एम. निम्बलकर, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक और संयुक्त सचिव, श्रम मंत्रालय, श्रम सक्ति भवन, नई दिल्ली [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (ग) के अनुसार] सदस्य
- (18) डा. बी. एम. मरुगाचलन, रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार और सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (ग) के अनुसार] सदस्य
- (19) श्री एम. एम. कोहली, सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (ग) के अनुसार] सदस्य
- (20) लोक सभा के सदस्य [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (ब) के अनुसार]
- (21) राज्य सभा के सदस्य [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (ब) के अनुसार]
- (22) **प्रांत प्रदेस सरकार के प्रतिनिधि [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (ग) के अनुसार] सदस्य
- (23) श्री धर्म सो शोंग, शिक्षा मंत्री, मरुगाचलन प्रदेश सरकार, इटानगर - 791 111 [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (ट) के अनुसार] सदस्य
- (24) श्री बृन्दावन गोस्वामी, शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, दिग्पुर [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (ट) के अनुसार] सदस्य
- (25) **बिहार सरकार के प्रतिनिधि [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (ट) के अनुसार]
- (26) **गोवा सरकार के प्रतिनिधि [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (ट) के अनुसार] सदस्य
- (27) **गुजरात सरकार के प्रतिनिधि [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (ट) के अनुसार]
- (28) श्री के. जे. चण्डिकासी, सलाहकार (शिक्षा) अंशमान और निकोबार प्रदेश परिषद, अंशमान और निकोबार द्वीप, पोर्ट ब्लेयर [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (ट) के अनुसार]
- (29) युव सचिव, बंडीगड संघ शासित प्रदेश बंडीगड - 160009 [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (ट) के अनुसार]
- (30) अध्यक्ष, वाणिज्य तथा उद्योग सह महासंघ (एबीएस) नई दिल्ली [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (1) के अनुसार] सदस्य
- (31) अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का सर, नई दिल्ली [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (1) के अनुसार] सदस्य
- (32) अध्यक्ष, भारतीय इंजीनियरी उद्योग संघ नई दिल्ली [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (1) के अनुसार] सदस्य
- (33) अध्यक्ष, लघु उद्योग संघ का महासंघ, नई दिल्ली [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (1) के अनुसार] सदस्य
- (34) डा. कमला चौधरी, 27/33 पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110003 केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की प्रतिनिधि [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (छ) के अनुसार] सदस्य
- (35) डा. एन. सी. माथुर, कुलपति, हरकी विश्वविद्यालय, रुड़की (भारतीय विश्वविद्यालय संघ के प्रतिनिधि) [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (एन) (ii) के अनुसार] सदस्य
- (36) प्रोफेसर पी. जे. मदान, अध्यक्ष, भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसाइटी, अध्यक्ष, कुटीर, मकरपुरा रोड, बडोदा-390009 [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (एन) (iii) के अनुसार] सदस्य
- (37) डा. प्रमोद गांगुली, अध्यक्ष, हिन्दुस्तान जिवर लिमिटेड, 165/166, सदस्य

बैकवे रिजल्टेशन, बम्बई - 400070
(भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की परिषद के
प्रतिनिधि) [खंड 3 के उपखंड (4) की
धारा (एम) (iv) के अनुसार]

(38) डा. जे. एल. कोल, ड्रग कंट्रोलर, सदस्य
तथा उपाध्यक्ष, भारतीय फार्मसी परिषद
15, शांतिनगर मार्ग, नई दिल्ली-110054
[खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (एम)
(v) के अनुसार]

(39) श्री जे. भार. भल्ला, अध्यक्ष, वास्तुकला परिषद सदस्य
8-बी, शंकर मार्केट कनाट सर्कस, नई दिल्ली-
110001 [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा
(एम) (vi) के अनुसार]

(40) महानिदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, सदस्य
नई दिल्ली [खंड 3 के उपखंड (4) की
धारा (एम) (vii) के अनुसार]

(41) ** इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के प्रतिनिधि सदस्य
(1), नई दिल्ली [खंड 3 के उपखंड (4)
की धारा (एन) के अनुसार]

(42) प्रोफेसर पी. बी. इन्दरसन, भारतीय प्रौद्योगिकी नरस
संस्थान दिल्ली (इंजीनियरिंग फॉर इन्वेंटिव डिजाइन)
एंड टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग के प्रतिनिधि
[खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (एन) के
अनुसार]

(43) प्रोफेसर जय कृष्ण, अध्यक्ष, सदस्य
भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरी ग्रंथालय, रुड़की
[खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (एन)
के अनुसार]

(44) डा. उत्पल के. बेंबर्जी, मुख्य कार्यकारी सदस्य
अखिल भारतीय प्रबंध संघ, 14 इन्स्टीट्यूट
एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
[खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (ड) के
अनुसार]

(45) डा. सी. एन. भार. राव, निदेशक, सदस्य
भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूर
[खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (न) के
अनुसार]

(46) कुमारी मधु सरोन, 48, सैक्टर-4 सदस्य
बंबीगढ़-160001
[खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (न) के
अनुसार]

(47) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सदस्य
नई दिल्ली [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा
(ठ) के अनुसार]

(48) निदेशक, प्रायोगिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, सदस्य परदेन
नई दिल्ली [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा
(प) के अनुसार]

(49) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सदस्य परदेन
नई दिल्ली [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा]

(50) महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान सदस्य परदेन
परिषद, नई दिल्ली [खंड 3 के उपखंड (4)
की धारा (घ) के अनुसार]

(51) शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) शिक्षा विभाग सदस्य-सचिव
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गवर्नर भवन, परदेन
नई दिल्ली-110001 [उपखंड (4) की धारा
(न) तथा खंड 3 के 50) उपखंड (ग) के
अनुसार]

टिप्पणी : *1. इन निकायों के अध्यक्ष उन तारीख से परदेन सदस्य बन जायेंगे
जिस तारीख से वे क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्ष के कार्यालय
का कार्य संपालने और दायवा जैसा भी मामला हो, अतः
उक्त अधिनियम के खंड 13 और 14 के अंतर्गत परिषद
द्वारा प्रत्येक बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

**2. इन संरक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य परिषद के
सदस्य के रूप में उन दिनों से कार्यभार ग्रहण करेंगे जबकि
उन्हें नियुक्त किया जाएगा।

† 3. वे उस तारीख से परिषद के सदस्य के रूप में कार्यालय में
कार्यभार ग्रहण करेंगे जबकि संबंधित मंत्रों द्वारा परि-
षद का चुनाव किया जाएगा।

[नं. का. 1 - 18/88 - टी. 5]

प्रमुख चार्ज, शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 1988

S.O. 479(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (4) of section (3) of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby establishes with effect from the 12th day of May, 1988, a Council by the name of the All India Council for Technical Education consisting of the following members, namely:—

- (1) the Minister for Human Resource Development of the Central Government [vide clause (a) of sub-section (5) of section 3] Chairman
- (2) the Minister of State for Education of the Vice-Central Government [vide clause (b) of Chairman sub-section (5) of section 3]
- (3) the Secretary to the Government of India Member, in the Ministry of Central Government Ex-Officio dealing with education [vide clause (c) of sub-section (4) of section 3]
- (4) the Educational Adviser (General) to the Member, Government of India [vide clause (d) of Ex-Officio sub-section (4) of section 3]
- (5) *the Chairman of the four Regional Member,
- (6) Committees [vide clause (e) of sub-section Ex-Officio
- (7) (4) of section 3]
- (8)

(9) *the Chairman, the All India Board of Member,
Vocational Education

- (10) *the Chairman, the All India Board of Member,
Technician Education or [vide clause (f) of Ex-Officio
sub-section (4) of section 3]
- (11) *the Chairman, the All India Board of Member,
Under-Graduate Studies in Engineering Ex-Officio
and Technology [vide clause (f) of sub-
section (4) of section 3]
- (12) *the Chairman, the All India Board of Member,
Post-Graduate Education and Research Ex-Officio
in Engineering and Technology [vide clause
(f) of sub-section (4) of section 3]
- (13) *the Chairman, the All India Board of Member,
Management Studies [vide clause (f) of Ex-Officio
sub-section (4) of section 3].
- (14) **Representative of the Ministry of Finance Member
[vide clause (g) of sub-section (4) of section
3]
- (15) Dr. V.R. Gowrikar, Secretary, Ministry Member
of Science and Technology, Technology
Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi
[vide clause (h) of sub-section (4) of
section 3]
- (16) Shri A.V. Ganesan, Additional Secretary, Member
Ministry of Industry, Department of
Industrial Development, Udyog Bhavan,
New Delhi [vide clause (i) of sub-section
(4) of section 3]
- (17) Shri A.M. Nimbalkar, Director-General Member
of Employment & Training and Joint
Secretary, Ministry of Labour, Shram
Shakti Bhavan, New Delhi [vide clause
(i) of sub-section (4) of section 3]
- (18) Dr. V.S. Arunachalam, Scientific Adviser Member
to Minister of Defence and Secretary,
Department of Defence Research and
Development, South Block, New Delhi
[vide clause (i) of sub-section (4) of
section 3]
- (19) Shri M.M. Kohli, Secretary, Ministry of Member
Energy, New Delhi [vide clause (i) of sub-
section (4) of section 3]
- (20) †Member of the Lok Sabha [vide clause Member
(j) of sub-section (4) of section 3]
- (21) †Member of the Rajya Sabha [vide clause Member
(j) of sub-section (4) of section 3]
- (22) **Representative of the Government of Member
Andhra Pradesh [vide clause (k) of sub-
section (4) of section 3]
- (23) Shri Khapriso Krong, Minister of Edu- Member
cation, Government of Arunachal Pradesh,
Itanagar-791 111 [vide clause (k) of sub-
section (4) of section 3]
- (24) Shri Brindavan Goswami, Minister for Member
Education, Government of Assam,
Dispur-781006 [vide clause (k) of sub-
section (4) of section 3]
- (25) **Representative of the Government of Member
Bihar [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]
- (26) **Representative of the Government of Member
Goa [vide clause (k) of sub-section (4) of
section 3]
- (27) **Representative of the Government of Member
Gujarat [vide clause (k) of sub-section (4)
of section 3]
- (28) Shri K.J. Khandaswamy, Counsellor Member
(Education), Andaman and Nicobar Pradesh
Council, Andaman & Nicobar Islands,
Port Blair [vide clause (k) of sub-section
(4) of section 3]
- (29) the Home Secretary, Union Territory of Member
Chandigarh, Chandigarh-160009 [vide
clause (k) of sub-section (4) of section 3]
- (30) President, the Associated Chamber of Member
Commerce & Industry (ASSOCHAM),
New Delhi [vide clause (l) of sub-section
(4) of section 3]
- (31) President, Federation of Indian Chamber Member
of Commerce & Industry, New Delhi [vide
clause (l) of sub-section (4) of section 3]
- (32) President, Confederation of Indian Engi- Member
neering Industries, New Delhi [vide clause
(l) of sub-section (4) of section 3]
- (33) President, Federation of Association of Member
Small Scale Industries, New Delhi [vide
clause (l) of sub-section (4) of section 3]
- (34) Dr. Kamla Choudhury, 2A/33, Prithviraj Member
Road, New Delhi-110003 (Representative
of the C.A.B.E.) [vide clause (m) (i) of sub-
section (4) of section 3]
- (35) Dr. N.C. Mathur, Vice-Chancellor, Uni- Member
versity of Roorkee, Roorkee (Represent-
ative of Association of Indian Universities
[vide clause (m) (ii) of sub-section (4) of
section 3])
- (36) Prof. P.J. Madan, President, Indian Member
Society for Technical Education, Dhan-
wanti Kutir, Makarpura Road, Baroda-
390 009 [vide clause (m) (iii) of sub-
section (4) of section 3]
- (37) Dr. Ashok Ganguly, Chairman, Hindustan Member
Lever Ltd. 165/166, Backbay Recla-
mation, Bombay-400070 (Representative
of the Council of the Indian Institutes of
Technology) [vide clause (m) (iv) of sub-sec-
tion (4) of section 3]
- (38) Dr. J.L. Kaul, Drug Controller and Vice- Member
President, Pharmacy Council of India, 15,
Sham Nath Marg, New Delhi-110054
[vide clause (m) (v) of sub-section (4) of
section 3]
- (39) Shri J.R. Bhalla, President, Council of Member
Architecture, 8-B, Shankar Market,
Connaught Circus, New Delhi-110001 [vide
clause (m) (vi) of sub-section (4) of
section 3]
- (40) Director-General, National Productivity Member

- (41) **Representative of the Institution of Engineers (I), New Delhi [vide clause (n) of sub-section (4) of section 3] Member
- (42) Prof. P.V. Indiresan, Indian Institute of Technology, Delhi (Representative of Institution of Electronics and Telecommunication Engineers) [vide clause (n) of sub-section (4) of section 3] Member
- (43) Prof. Jai Krishna, President Indian National Academy of Engineering, Roorkee [vide clause (n) of sub-section (4) of sub-section 3] Member
- (44) Dr. Utpal K. Banerjee, Chief Executive All India Management Association, 14, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110003 [vide clause (n) of sub-section (4) of section 3] Member
- (45) Dr. C.N.R. Rao, Director, Indian Institute of Science, Bangalore [vide clause (o) of sub-section (4) of section 3] Member
- (46) Ms. Madhu Sareen, 48, Sector-4, Chandigarh-160001 [vide clause (o) of sub-section (4) of section 3] Member
- (47) the Chairman, University Grants Commission, New Delhi [vide clause (p) of sub-section (4) of section 3] Member, Ex-Officio
- (48) the Director, Institute of Applied Manpower Research, New Delhi [vide clause (q) of sub-section (4) of section 3] Member, Ex-Officio
- (49) the Director-General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi [vide clause (r) of sub-section (4) of section 3] Member, Ex-Officio
- (50) the Director-General, Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi [vide clause (s) of sub-section (4) of section 3] Member, Ex-Officio
- (51) the Educational Adviser (Technical) Department of Education, Ministry of Human Resource Development, Shastri Bhavan, New Delhi-110001 [vide clause (t) of sub-section (4) and clause (c) of sub-section (5) of section 3] Member, Secretary, Ex-Officio

Notes:—

- *1. The Chairman of these bodies will become the members ex-officio from the date they assume the charge of the office of the Chairman of the Regional Committees or as the case may be, the Board of studies to be established by the Council under sections 13 and 14 of the said Act.
- **2. The members representing these organisations will assume the charge of the office of the member of the Council from the date they are so appointed.
- †3. They will assume the charge of the office of the member of the Council from the date of their election on the Council by the respective Houses of Parliament.

[No. F.1-18/33-T.5]

ASHOK CHANDRA, Educational Adviser (Technical)